



राज. न. एल. डब्लू. / एन. पी. 890

लाहसंन्स नं० डब्लू० पी०-४१

हाइसेन्स टु पब्लिश एन्ड फन्सेशनल रीट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 7 फरवरी, 1998

माघ 18, 1919, शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 295/सत्रह-वि-1-1 (क) 36-97

लखनऊ, 7 फरवरी, 1998

### अधिसूचना

विषय

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर नियम (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 6 फरवरी, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम, (संशोधन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1998)

[[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अन्तर् संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1-- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा। सहायक नाम और प्रारम्भ

(2) यह 13 नवम्बर, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2  
1959 की  
धारा 16 का  
संशोधन  
निरसन और  
अपवाद

2—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, जिसे प्रागे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 16 में, उपधारा (15) में, शब्द "आधे से अधिक से बहुमत" के स्थान पर, शब्द "दो-तिहाई बहुमत" रख दिये जायेंगे।

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निविष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्काल उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध तभी लागूमान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री ज्ञाना से,  
गणेश शंकर पाण्डेय,  
विशेष सचिव।

No. 295 (2)/XVII-V-1—1(KA)-36-1997

Date Lucknow, February 7, 1998

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Nigam (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1998) as passed by Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 6, 1998.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION  
(AMENDMENT) ACT, 1998  
(U.P. ACT No. 8 OF 1998)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and  
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 1998.

Amendment of  
section 16 of  
U. P. Act No. II  
of 1959

(2) It shall be deemed to have come into force on November 13, 1997.

Repeal and  
savings

2. In section 16 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (15), for the words "a majority of more than one-half" the words "a majority of two-thirds" shall be substituted.

3. (1) The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,  
G. S. PANDEY,  
Vishesh Sachiv.